आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प. 3(1)साप्र/2/2024 पार्ट–1/01107 जयपुर, दिनांक : 24-10-2024

–: आदेश :–

निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी तृतीय श्रेणी की वरीयतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 13 के प्रावधान अनुसार एतद्द्वारा आवण्टन/परिवर्तन किया जाता है :–

क्र.सं.	वरियता संख्या	आवंटी नाम व पदनाम	सेवानिवृत्ति दिनांक	आवण्टित राजकीय आवास
1.	38/2020	श्री राजेन्द्र गुर्जर, नर्सिंग ट्यूटर, राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय, जयपुर	30.06.2036	**III/बी/14, बहुमंजिला गांधीनगर रिक्त होने की प्रत्याशा में (III/101, गांधीनगर के स्थान पर)**
2.	1485	श्री राजीव मूण्ड, सहायक अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर	31.07.2057	**III/बी/1, गांधीनगर (15/20 मालवीय नगर के स्थान पर)**

शर्ते :–

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 कार्यदिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3 सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4 जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी–चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगीः–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तंत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।
9. **उपरोक्त आवंटियों से कॉमन सुविधा शुल्क के पेटे राशि रूपये 225/–(अक्षरे दो सौ पच्चीस रूपये मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।**

राज्यपाल की आज्ञा से,

(**मन मोहन गौड**)
वरिष्ठ उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष मे जमा कराने को सुनिश्चित करावें।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष मे जमा कराने को सुनिश्चित करावें।
4. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
5. निदेशक, संपदा निदेशालय, मिनी सचिवालय, बनीपार्क, जयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Man Mohan Gour
Designation : Senior Deputy
Secretary To Government
Date: 2024.10.24 16:30:51 IST
Reason: Approved

आज़ादी का अमृत महोत्सव

6. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर– कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
7. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त आवंटियों में से यदि किसी आवंटी को अस्थायी राजकीय आवास आवंटित है तो उन्हे उक्त आंवटित आवास का कब्जा लेने हेतु निर्देशित कर अस्थायी आवास रिक्त कराया जाना सुनिश्चित करें।
8. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड– तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
9. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर, जयपुर।
10. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
11. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गांधीनगर, जयपुर–कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
12. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड–तृतीय, जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे एवं पूर्व आवंटित आवास को नियमानुसार अवधि में रिक्त किया जाना सुनिश्चित करेगें।
13. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
14. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ उप शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Man Mohan Gour
Designation : Senior Deputy
Secretary To Government
Date: 2024.10.24 16:30:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 11386892